



Ref No:- Janpaksh/Center/UDM/1008/2017/0000232

Date:- 10-08-2017

Payment By :-

Dated:-

में निम्नलिखित जानकारी सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत चाहता हूँ। अगर आप इस सूचना से सम्बंधित अधिकारी नहीं हैं तो सूचना के अधिनियम के उपधिनियम 6(3) के अंतर्गत समबन्धित सूचना अधिकारी को भेजने का कष्ट करे।

1. कृपया जानकारी दे की दिल्ली में कन्वर्जन शुल्क कि शुरुआत कब हुई थी। इसके लिए कौन कौन से विभाग अधिकृति किये गए थी। यह शुल्क कितने समय के लिए लगाये गए थे। इस विषय में जारी पत्र व नियमों की प्रति प्रदान करे। अब तक किस किस विभाग द्वारा कितना कितना कन्वर्जन शुल्क प्रति वर्ष अब तक लिया जा चुका है।
2. कृपया जानकारी दे कि अब तक कितने क्षेत्रों का कन्वर्जन शुल्क माफ़/पूरा लिया जा चुका है। उन सभी क्षेत्रों के विषय में बताये।
3. कन्वर्जन शुल्क एक मुश्त जमा किया जा सकता है। अगर हाँ तो इसके नियमों व छूट के विषय में बताये।
4. जानकारी दे की दिल्ली सरकार ने या उनके विधायकों ने कन्वर्जन शुल्क माफ़ करने के विषय में कोई पत्र लिखे हैं तो उनकी प्रति प्रदान करे।
5. यदि विभाग द्वारा या सरकार द्वारा कन्वर्जन शुल्क को जारी रखने के विषय में यदि कोई निर्णय लिया गया है तो उसकी प्रति प्रदान करे।
6. दिल्ली में स्थित हर जिले में 100 बड़े दोषियों के नाम बताइए जिन्होंने अभी तक कन्वर्जन शुल्क नहीं जमा कराया है।
7. कृपया उन सभी व्यक्तियों की सूची प्रदान करे जिनके लिए कन्वर्जन शुल्क माफ़ करने के विषय में प्रशासन/मंत्री/विधायक/सचिव द्वारा पत्र भेजा गया है। कृपया उन पत्रों की प्रतिया भी प्रदान करे।
8. दिल्ली में कन्वर्जन शुल्क कब तक जारी रखने के विषय में आदेश है। इसकी एक प्रति प्रदान करे व दिल्ली के नाथू कॉलोनी, मंडोली रोड, शाहदरा मार्केट वालो की तरफ से मिले पत्रों को प्रति अधिकारियों की टिपण्णी के साथ प्रदान करे। जानकारी दे की विभाग ने अब तक इसपर किस प्रकार की कार्यवाही की है।

कृपया जो सूचनाये डिजिटल रूप में उपस्थित हैं वे सूचनाये आप डिजिटल माध्यम से हमे मेल पर भी दे सकते हैं हमारा मेल आईडी [Jeevan@janpaksh.com](mailto:Jeevan@janpaksh.com) है।

प्रार्थी

जीवन पन्त

+919818334729